	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 6, शुक्रवार, शाके 1941–मई 24, 2019 Jyaistha 6, Friday, Saka 1941–May 24, 2019	

भाग 1 (ख)

`महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वित्त (आबकारी) विभाग

आदेश

जयपुर, फरवरी 25, 2019

क्रमांक–प.4(1)वित्त/आब/2019 :–वर्ष 2019–20 हेतु आबकारी एवं मद्यसंयम नीति इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 1.2.2019 के द्वारा जारी की जा चुकी है। पूर्व में जारी आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2019–20 के निम्नांकित बिन्दुओं पर निम्नानुसार संशोधन एवं आदेशित किया जाता हैः–

1. **बिन्दु संख्या 4.9.1**:– देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क रु0 150/– प्रति एल.पी.एल. के स्थान पर रु0 160/– प्रति एल.पी.एल. किया जाता है।
2. **बिन्दु संख्या 3.18 (i) एवं 4.6**:– भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर कम उठाव की स्थिति में कम उठाई गई मात्रा पर क्रमशः 30 रूपये एवं 20 रूपये प्रति बल्क लीटर की अतिरिक्त राशि के स्थान पर क्रमशः राशि रु0 20/– एवं रु0 10/– प्रति बल्क लीटर किया जाता है।
3. **बिन्दु संख्या 3.4.2 एवं 4.9.5**:– भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रथम दो स्लेब पर निर्धारित की गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा की ड्यूटी का मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत तक उठाव करने पर मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत भराव इस स्लेब में निर्धारित ड्यूटी के पेटे दिये जाने के स्थान पर प्रथम दो स्लेब की वास्तव में उठाई गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा के आबकारी शुल्क के बराबर खुदरा अनुज्ञाधारी को भराव (समायोजन) दिया जाता है तथा यह उठाव मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत एवं अधिकतम 20 प्रतिशत तक हो सकेगा, जो कि पूर्व की तरह स्वैच्छिक होगा।
4. **बिन्दु संख्या 4.9.4 का बुलेट पॉईन्ट 2**:– भारत निर्मित विदेशी मदिरा का 90 ml एवं 180 ml पैकेजिंग उत्पादन एवं विक्रय ग्लास पात्र के साथ–साथ टेट्रा पैक एवं पेट (Pet) में भी किया जाता है।
5. **बिन्दु संख्या 4.9.9**:– फ्रेन्चाईज अनुबंध के आधार पर देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी की बोतल भराई पर लागू बोटलिंग फीस रूपये 7/– प्रति बल्क लीटर के स्थान पर समस्त प्रकार की मदिरा की बोतल भराई पर वर्तमान में देय बोटलिंग फीस पर राशि रूपये 0. 50/– प्रति बल्क लीटर की वृद्धि की जाती है।

आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के उपर अंकित प्रावधानों के संदर्भ मे उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें। आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2019–20 के शेष प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2019–20 के अनुसार एवं पूर्व में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार होंगे।

वर्ष 2019–20 हेतु आबकारी बंदोबस्त की कार्यवाही को अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
डॉ0 पृथ्वी,
शासन सचिव, वित्त
(राजस्व)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 6, शुक्रवार, शाके 1941–मई 24, 2019 *Jyaistha 6, Friday, Saka 1941–May 24, 2019*	

भाग 1 (ख)

`महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वित्त (आबकारी) विभाग

आदेश

जयपुर, 26 अप्रैल, 2019

क्रमांक–प.4(1)वित्त/आब/2019–II :–वर्ष 2019–20 हेतु आबकारी एवं मद्यसंयम नीति इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.02.2019 के द्वारा जारी की जा चुकी है। साथ ही उक्त में पूर्व में संशोधन दिनांक 25.02.2019 को जारी किये जा चुके हैं। पूर्व में जारी आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2019–20 एवं संशोधन दिनांक 25.02.2019 के निम्नांकित बिन्दुओं पर निम्नानुसार संशोधन एवं आदेशित किया जाता हैः–

1. <u>**बिन्दु संख्या 4.9.4 का बुलेट पॉईन्ट 2:–**</u> इस बिन्दु में 'टेट्रा पैक' के स्थान पर जेनेरिक नाम 'एसेप्टिक ब्रिक पैक' प्रतिस्थापित किया जाता है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा के संबंध में पेट पैकेजिंग प्रथम दो स्लेब के लिये ही होगी।

भवदीय,
डॉ0 पृथ्वी,
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।